

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पूर्णियाँ।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कसबा।

विषयः—

ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा 14वीं 0 वित्त योजनान्तर्गत नगर पंचायत, कसबा अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2018-19 के ग्रुप सं0-04 के कार्य वार्ड सं0-10 में हीरालाल साह के घर से वार्ड आयुक्त के घर से शंकर लाल राय के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य (पिछड़ा वर्ग महिला) के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः—

कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियाँ का पत्रांक-218 दिनांक-02.08.2018, पत्रांक-239 दिनांक-08.09.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1700 दिनांक-24.09.2018 तथा निविदाकार श्रीमति सुषमा देवी का पत्र दिनांक-25.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र से 14वीं 0 वित्त योजनान्तर्गत नगर पंचायत, कसबा अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2018-19 के ग्रुप सं0-04 के कार्य वार्ड सं0-10 में हीरालाल साह के घर से वार्ड आयुक्त के घर से शंकर लाल राय के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य (पिछड़ा वर्ग महिला) हेतु एकमात्र मान्य निविदाकार श्रीमति सुषमा देवी से दिनांक-25.09.2018 को दर प्रक्रमण किया गया तथां उनके द्वारा परिमाण विपत्र की राशि 10% कम दर पर कार्य करने हेतु सहमति पत्र दिया गया है।

तदनुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-3162(S) दिनांक-09.05.2016 के अनुपालन के आलोक में यह कार्य श्रीमति सुषमा देवी को उक्त कार्य उनके द्वारा सहमत दर परिमाण विपत्र की राशि 10,74,599/- (दस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ निनानवे) रूपये मात्र से 10% कम दर पर अर्थात् राशि 9,67,139/- (नौ लाख सड़सठ हजार एक सौ उनचालीस) रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियाँ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कसबा सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 03 (तीन) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
11. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं-0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेतर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु०:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन
 ३०/१०/१८
 अधीक्षण अभियंता,
 बिहार शहरी विकास अभिकरण
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार, पटना।